दिनांक 12.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 12/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुरनगर/वाराणसी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को आगामी त्यौहारों के अवसर पर कोविड–19 के दृष्टिगत भारत सरकार व उ0प्र0 शासन द्वारा जारी एसओपी/गाइड लाइन तथा मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए गाइड लाइन के अनुरूप आगामी त्यौहारों को मनाये जाने हेतु जनमानस को जागरूक करते हुए उक्त के क्रम में पुनः निम्न निर्देश दिये गये :–

- त्यौहार रजिस्टर में विगत वर्षो की प्रविष्टियों का अवलोकन करके पुराने एवं सम्भावित प्रकरणों का सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान कराना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपने सहयोगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण करें, एवं विवाद को हल करने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये।
- बीट अधिकारी अपने–अपने बीट का भ्रमण कर विवादों आदि की जाँच कर ले।
- शान्ति समितियों की बैठक आयोजित कर सभ्रान्त नागरिकों/शान्ति समितियों/नागरिक सुरक्षा संगठन के सदस्यों आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाय।
- नदियों के घाटो/सरोवरों आदि पर जल पुलिस/बाढ़ राहत पुलिस आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायें, इस अवसर पर डिजिटल वलेन्टियर्स एवं नागरिक

सुरक्षा समितियों तथा साभ्रान्त नागरिकों का अपेछित एवं साकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये।

- संवेदनशील स्थानों/चौराहो पर पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा द्वारा सतर्कता बरती जाये। सादे वस्त्रों में पुरूष/महिला पुलिस कर्मी की तैनाती की जाय।
- सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों जैसे ट्विटर/व्हाट्सएप/फेसबुक/इंस्टाग्राम आदि विभिन्न प्लेटफार्मो पर सर्तक दृष्टि रखी जाय। भ्रामक/आपत्तिजनक पोस्ट/अफवाहों का तत्काल सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाय तथा अफवाहों का खण्डन किया जाय।
- असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी समीक्षा कर वैधानिक कार्यवाही की जाय। अभिसूचना तंत्र को और सक्रिय किया जाय।
- जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों पर भी और प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग करायी जाय।

जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन

- **डकैती की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर, 06 जीवित कारतूस**
- **लुटे हुये 81 बण्डल बिजली के तार**
- **01 अवैध देशी पोनिया बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना वृन्दावन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुनरख गॉव के जंगलों से 04 अभियुक्तों 1–योगेन्द्र उर्फ चटकनी 2–राज उर्फ उत्तम 3–राहुल उर्फ रामू 4–अरमान उर्फ उस्मान को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर, 06 जीवित कारतूस, लूटे हुये 81 बण्डल बिजली के तार व 01 अवैध देशी पोनिया बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02/03.10.2021 की रात्रि थाना वृन्दावन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर अन्तर्गत धारा 395/397 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद लाइसेन्सी बन्दूक व बिजली के तार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–योगेन्द्र उर्फ चटकनी निवासी ग्राम धारापुरा थाना राजाखेडा जनपद धौलपुर, राजस्थान।

2–राज उर्फ उत्तम निवासी हाल महिपालपुर थाना बसंतकुंज नई दिल्ली, मूल निवासी मोहल्ला खेड़ा थाना करहल जनपद मैनपुरी।

3—राहुल उर्फ रामू निवासी काकरपुरा थाना निबोहरा जनपद आगरा, हालपता—शाहपुर जाट थाना हौजखास, दिल्ली।

4—अरमान उर्फ उस्मान निवासी हौशियारपुर थाना सेक्टर—24 गौतमबुद्ध नगर मूल निवासी मोहल्ला सराय कुलसर थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1— लूटी गयी 01 लाइसेन्सी बन्दूक 12 बोर, 06 कारतूस।

2— लूटे हुये 81 बण्डल बिजली के तार।

3— 01 अवैध देशी पोनिया बन्दूक 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बरेली/थाना शेरगढ़

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर चोर गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **13 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना शेरगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टाण्डा तिराहे के पास से 04 अभियुक्तों 1—नन्नोरी उर्फ ओमप्रकाश 2—जोगेन्द्र 3—मंगली उर्फ मंगल 4—ब्रजबिहारी को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 13 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04/05.10.2021 की रात्रि थाना शेरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शेरगढ़ पर मु0अ0सं0—214/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के

अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शेरगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नन्नोरी उर्फ ओमप्रकाश निवासी व्यौधा थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

2–जोगेन्द्र निवासी व्यौधा थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

3–मंगली उर्फ मंगल निवासी व्यौधा थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

4–ब्रजबिहारी निवासी व्यौधा थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–13 हजार 500 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद कासगंज/थाना कोतवाली कासगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.10.2021 को थाना कोतवाली कासगंज पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजबीर उर्फ राजू उर्फ छोटे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली कासगंज पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 394/307/332/352/353 भादवि के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजवीर उर्फ राजू उर्फ छोटे निवासी मील कम्पाउण्ड कस्बा व थाना उझानी जनपद बदायूँ।

जनपद हरदोई/थाना साण्डी

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **45 पौवे अवैध शराब, 72 क्यूआर कोड, 104 ढक्कन, 65 रैपर बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना साण्डी पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमरा—साण्डी, ग्राम सुंगवा से चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामलखन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पौवे अवैध शराब, 72 क्यूआर कोड, 104 ढक्कन, 45 रैपर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद हरदोई से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामलखन निवासी ग्राम सेवारामपुरवा थाना अरवल जनपद हरदोई।

बरामदगी

1—45 पौवे अवैध शराब।

2— 72 क्यूआर कोड।

3— 104 ढक्कन।

4— 45 रैपर।

जनपद आगरा/थाना हरीपर्वत

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 चार पहिया वाहन**
- **चोरी की कटी हुई सेन्ट्रोकार मय इंजन, चेचिंस आदि**
- **चोरी के भारी मात्रा में कल–पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2021 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कॉसमाल तिराहे के पास चेकिंग के दौरान 07 शातिर अभियुक्तों 1–शोएब 2–आदिल 3–समीर 4–आसिफ 5–गुलफाम 6–इरफान 7–मो0 आफाक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 चार पहिया वाहन, चोरी की कटी हुई सेन्ट्रोकार मय इंजन, चेचिंस आदि, चोरी के भारी मात्रा में कल–पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके द्वारा दिल्ली आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, मैनपुरी आदि स्थानों से चार पहिया वाहनों की चोरी कर सस्ते दामों पर बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त शोएब के विरूद्ध जनपद आगरा व हाथरस के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त आदिल के विरूद्ध वाहन चोरी आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त समीर के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के 07 अभियोग, अभियुक्त आसिफ के विरूद्ध जनपद आगरा व औरैया के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी के 08 अभियोग, अभियुक्त गुलफाम व अभियुक्त इरफान के विरूद्ध जनपद आगरा के विभिन्न थानों पर 07–07 अभियोग व अभियुक्त मो0 आफाक के विरूद्ध जनपद आगरा व औरैया के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शोएब निवासी 60 फुटा रोड चिश्तीनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद, मूलनिवासी शीतल खॉ राही नगर, फिरोजाबाद।

2—आदिल निवासी 60 फुटा रोड नगला बरी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

3—समीर निवासी नई बस्ती थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

4—आसिफ निवासी नगला बरी बाईपास रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

5—गुलफाम निवासी चिश्तीनगर थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

6—इरफान निवासी काश्मीरी गेट थाना रामगढ जनपद फिरोजाबाद।

7—मो0 आफाक निवासी नगला बरी बाईपास रोड थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1— चोरी की 04 चार पहिया वाहन।

2—चोरी की कटी हुई सेन्ट्रोकार मय इंजन, चेचिंस आदि।

3— चोरी के भारी मात्रा में कल—पुर्जे आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जीआईसी ओवरब्रिज के नीचे 02 अभियुक्तों 1—गौरव 2—दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौरव निवासी साहबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।

2—दीपक निवासी बसवा आदर्श चौराहा टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 06 मोटर साइकिल।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना खतौली</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलकनंदा नहर पुल के पास से चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1—आदेश 2—रवि 3—शाहबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आदेश निवासी रतनपुरी थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

2—रवि निवासी चितौडा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3—शाहबाज निवासी जसौला थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

➢ <u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी जनपद श्रावास्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 304 भादवि में अभियुक्त पुत्तन वर्मा को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/पॉक्सो एक्ट जनपद श्रावास्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मंगरे उर्फ दिनेश कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना लोनी कटरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0–कोट सं0–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना लोनी कटरा पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376/452 भादवि में अभियुक्त बिन्दा प्रसाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना मिश्रिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या: 15 सीतापुर द्वारा थाना मिश्रिख पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि में अभियुक्त एजाज उर्फ गुड्डू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➢ **<u>जनपद सीतापुर/थाना हरगॉव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्याः 12 सीतापुर द्वारा थाना हरगॉव पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त विजय पाल उर्फ राजू को 11 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने शराब फैक्ट्री "को-आपरेटिव कंपनी लि०" टपरी, सहारनपुर, से भारी मात्रा में निकाली जा रही अवैध शराब जिससे करोड़ो की एक्साइज ड्यूटी/टैक्स चोरी का भण्डाफोड़ कर कई अभियुक्तों को दिनांक 03-03-2021 को गिरफ्तार किया था, के क्रम में कम्पनी के एच०आर० हेड/लीगल हेड एवं रू० 25,000/- का इनामी वीरेन्द्र शंखधार को गौतमबुद्धनगर से किया गिरफ्तार।</u>

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा दिनांक 03–03–2021 को शराब फैक्ट्री ''को–आपरेटिव कंपनी लि0'' टपरी, सहारनपुर, लोकल आबकारी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रान्सपोर्टर एवं फैक्ट्री में नियुक्त आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भारी मात्रा में अवैध शराब निकाली जा रही थी, जिससे प्रत्येक माह करोड़ो रूपये की टैक्स चोरी कर राज्य सरकार को भारी राजस्व की हानि पहुचाने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ कर 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, के एच0आर0 हेड/लीगल हेड एवं रू0 25,000/– का इनामी वीरेन्द्र शंखधार को दिनांक 11–10–2021 को थाना क्षेत्र सेक्टर–24, गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–</u>

1– वीरेन्द्र शंखधार पुत्र टेकचन्द शर्मा नि0 ग्राम व पोस्ट–नागरझूना, थाना व तहसील–बिल्सी, जनपद– बदायूॅ व एफएफ–2, प्लाट नम्बर–55, गली नम्बर–17, हिण्डन बिहार बरौला, थाना सेक्टर–49, गौतमबुद्धनगर, हाल पता–ए–1/303 सुपरटेक क्रासिंग सोसाइटी, थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

1— रू0 1,310 / — नगद।

2— 02 अदद मोबाइल फोन।

3— 01 अदद डेबिट कार्ड।

4— 01 अदद टाईमेक्स की घड़ी।

<u>गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान–</u>

दिनाँक 11—10—2021, समय 15:00 बजे, राहुल गेस्ट हाउस के सामने, निकट—सुरभि अस्पताल, ग्राम मोरना, थाना सेक्टर—24, जनपद—गौतमबुद्धनगर ।

संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के कुशल पर्यवेक्षण मे **''को—आपरेटिव कंपनी लि0'' टपरी, सहारनपुर, लोकल आबकारी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रान्सपोर्टर एवं को—आपरेटिव फैक्ट्री** मे नियुक्त आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कम्पनी के अभिलेखों मे हेरा—फेरी कर करोड़ो रूपये की टैक्स एवं एक्साइज ड्यूटी चोरी की घटना के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 03 / 2021 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 120बी, 420, 467, 468, 471, 477ए भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना एसआईटी, लखनऊ पर पंजीकृत हुआ था। दिनांक 03—03—2021 को मौके से 08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी थी एवं इसी अभियोग मे वांछित सरगना ट्रान्सपोर्टर एवं रू0 25,000 / — के इनामी अभियुक्त सत्यवान शर्मा को हरियाणा प्रान्त से दिनांक 30—07—2021 को, कम्पनी का टेक्निकल हेड रू0 25,000 / — के इनामी कमल डेनियल को उत्तराखण्ड से दिनांक 11—08—2021 को एवं सेल्स हेड व पीआरओ एवं रू0 25,000 / — के ईनामी अश्वनी कुमार उपाध्याय को दिनांक 23—09—2021 को थाना क्षेत्र चिनहट, लखनऊ से एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था, इसी अभियोग में कम्पनी का एच0आर0 हेड / लीगल हेड वीरेन्द्र शंखधार वांछित था, जिसके ऊपर रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था, जिसकी गिरफ्तारी करने हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वीरेन्द्र शंखधार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये स्थान बदल—बदल कर एनसीआर क्षेत्र मे रह रहा है। इसी क्रम मे उ0नि0 शिवनेत्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार सिंह, मु0आ0 सुधीर कुमार सिंह की टीम गठित कर रवाना

किया गया तथा दिनाँक 11—10—2021 को ग्राम मोरना मे राहुल गैस्ट हाउस के सामने, निकट—सुरभि अस्पताल, थाना सेक्टर—24, जनपद— गौतमबुद्धनगर से अभियुक्त वीरेन्द्र शंखधार को गिरफ्तार किया गया।

पकड़े गए अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह स्नातक की पढ़ाई पूरी कर वर्ष 2001 से वर्ष 2012 तक नोएडा अथॉरिटी मे ठेकेदारी एवं स्टोन डस्ट, रोड़ी सीमेन्ट की सप्लाई का काम करता था। वर्ष 2012 मे **''को—ऑपरेटिव कम्पनी टपरी सहारनपुर''** मे **प्रशासनिक अधिकारी** के पद पर नियुक्त हुआ था तथा वर्ष 2019 से **एच0आर0 हेड/लीगल हेड** के पद पर कार्यरत था। कम्पनी मे लगे हुए सी0सी0टी0वी0 का डी0वी0आर0 मेरे रूम मे जनवरी 2019 से लगा था तथा यूनिट हेड उपेन्द्र गोविन्द राव के कहने पर सी0सी0टी0वी0 ऑन/ऑफ मेरे व चौकीदार अशोक द्वारा किया जाता था। जब कम्पनी मे ई0एन0ए0 (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) का टैंकर रात मे आता था तो ई0एन0ए0 उतारने के लिए लेबरो की व्यवस्था के लिये मुझे उपेन्द्र गोविन्द राव द्वारा बताया जाता था तब मैं लेबरो को देर रात तक कम्पनी मे रोकता था। ई0एन0ए0 अनलोड होते समय कम्पनी मे नियुक्त आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त जगराम पाल, क्वालिटी मैनेजर संजय शर्मा, अरविन्द चौधरी व यूनिट हेड उपेन्द्र गोविन्द राव मौजूद रहते थे। ई0एन0ए0 का बिल अरविन्द चौधरी के पास रहता था जिसकी एक प्रति मैनेजर संजय शर्मा को भी दी जाती थी। ई0एन0ए0 अनलोड होने के बाद वैट रूम मे ताला बन्द कर सील मोहर कर चाभी सहायक आयुक्त जगराम पाल अपने पास रखते थे। यूनिट हेड उपेन्द्र गोविन्द राव ई0एन0ए0 मंगाने की व्यवस्था करते थे एवं उसका भुगतान सी0ए0 शिवानी के माध्यम से कराते थे। टपरी को—ऑपरेटिव फैक्ट्री में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से ट्रांसपोर्ट के ट्रकों के माध्यम से नजदीक के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर 02 दिन मे 01 गेटपास पर 02 चक्कर और उन्नाव व कानपुर के डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट पर 04 दिन मे 01 गेटपास पर 02 चक्कर लगाकर एक ही बिल्टी पर एक्साइज टैक्स की बड़ी चोरी की घटना अंजाम दी जाती थी। फैक्ट्री से गाड़ी की निकासी के दौरान फैक्ट्री के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री के सी0सी0टी0वी0 कैमरे को बंद करा दिया जाता था व ट्रांसपोर्ट कम्पनी के ट्रक ड्राईवरों द्वारा ट्रक में लगे जीपीएस को भी ऑफ कर दिया जाता था, जिसके कारण गाड़ियों के फेरों की जीपीएस लोकेशन लॉग नही होती थी। इस समस्त कार्य में को—ऑपरेटिव कम्पनी टपरी सहारनपुर के मालिक और अधिकारियों की पूरी मिलीभगत होती थी। प्रणय अनेजा (फैक्ट्री मालिक) के निर्देशन में एक ही बिल्टी पर 02 बार शराब लदी गाड़ी (एक बार वैध एवं एक बार अवैध रूप से) निकालने का काम होता था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना एस0आई0टी0 लखनऊ पर उपरोक्त अभियोग मे दाखिल किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही एस0आई0टी0 लखनऊ द्वारा की जा रही है।

एसटीएफःथाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से अभियोग संख्या 336/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी विजय कुमार उर्फ विजय भारती को एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 12–10–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश द्वारा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से अभियोग संख्या 336/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी विजय कुमार उर्फ विजय भारती को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

विजय कुमार उर्फ विजय भारती पुत्र रामरूप निवासी वेतीहाता दक्षिण थाना रामगढ़ताल, गोरखपुर।

बरामदगीः–

1– एक अदद तमंचा 315 बोर ।

2– दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

3– नगद रूपये 2,800 /–

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनांक 11–10–2021 को सयम लगभग 23:30 बजे गेट न0–03, चौकी क्षेत्र सफीगंज, थाना सीसामऊ कानपुर नगर।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के कुख्यात अपराधियो, माफियाओ, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियो के विरूद्ध प्रचलित अभियानो के क्रम में अभिसूचना संकलित कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक डी.के. शाही के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई कानपुर के निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिहं को पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमो से सूचना संकलन हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक लान सिंह व आरक्षी सुशील कुमार दिवाकर के सतत प्रयास से सूचना प्राप्त हुई कि लुटेरो का एक गिरोह है, जो लूट/राहजनी की घटनाओ को अंजाम देते है, उसी गिरोह का एक सदस्य विजय कुमार उर्फ विजय भारती पुत्र रामरूप निवासी वेतीहाता दक्षिण थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर है, जिस पर कई अभियोग पंजीकृत है। जिसके विरूद्ध रू0 25,000/ का पुरस्कार भी घोषित किया गया है।

दिनांक 11—10—2021 को सूचना प्राप्त हुई, कि विजय कुमार उर्फ विजय भारती आज दिनांक 11—10—2021 को समय लगभग रात्रि 11:15 बजे बस द्वारा राजस्थान से कानपुर आ रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक लान सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त वांछित अभियुक्त को गेट न0 03 चौकी क्षेत्र सफीगंज, थाना सीसामऊ कानपुर नगर से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त विजय द्वारा बताया गया कि वह अपराध जगत में वर्ष—2009 से सक्रिय है, वर्ष—2009 में थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर में वाहन चोरी की घटना में प्रकाश में जेल गया था। जेल से छूटने के पश्चात ड्राइवरी का काम करने लगा था। वर्ष—2011 में जनपद बाराबंकी में कोतवाली में पुलिस मुठभेड़ व थाना बढ़ूसराय में डकैती की 02 घटनाओ में जेल गया था। जमानत पर छूटने के पश्चात फिर गोरखपुर में गाड़ी चालने की काम करने लगा। वर्ष 2020 में थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से 307 व 25 आर्म्स एक्ट के अभियोगों में जेल गया। जेल से जमानत मिलने के पश्चात अपने साथी सिकन्दर निषाद व गोविन्द यादव के साथ मिलकर कलेक्शन एजेन्ट के साथ एस.बी.आई. तारामण्डल के पास थाना क्षेत्र रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर में ही लूट की घटना किया, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल हीरो होन्डा अभियुक्त विजय भारती की थी, जो अभियुक्त के पिता रामरूप के नाम थी, उक्त मोटर साईकिल को अपने घर पर छोड़कर लूट की घटना में मिला हिस्सा एक लाख रूपये में से 70,000/— रूपये नितिन तिवारी जो उसके घर के पास रहते है को दे दिया और 30,000/— रूपये स्वयं लेकर गोरखपुर से बाढ़मेर राजस्थान चला गया जहॉ पर बन रही रिफाइनरी में पहले से कुछ लोग जानने वाले काम कर रहे थे उन्ही के यहॉ रहे। घटना के पश्चात निरन्तर स्थान बदल बदल कर रह रहा था। आज दिनांक 11.10.2021 को राजस्थान से कानपुर अपने साथी से मिलने आया था।

<u>अभियुक्त विजय कुमार पुत्र रामरूप का आपराधिक इतिहास–</u>

1— मु0अ0सं0 1766/2009 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली खोराबार, जनपद गोरखपुर।

2— मु0अ0सं0 826/2011 धारा 395/412 भादवि थाना कोतवाली खोराबार, जनपद गोरखपुर।

3— मु0अ0सं0 2468/2011 धारा 395/412 भादवि थाना कोतवाली खोराबार, जनपद गोरखपुर।

4— मु0अ0सं0 2571/2011 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली खोराबार, जनपद गोरखपुर।

5— मु0अ0सं0 171/2012 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली खोराबार, जनपद गोरखपुर।

6— मु0अ0सं0 285/2012 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बाराबंकी, जनपद बाराबंकी।

7— मु0अ0सं0 931/2020 धारा 269/188 भादवि थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

8— मु0अ0सं0 1014/2020 धारा 307 भादवि थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

9— मु0अ0सं0 36/2021 धारा 3/25 अर्म्सएक्ट थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

10— मु0अ0सं0 336/2021 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

11— मु0अ0सं0 340/2021 धारा 307 भादवि थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

12— मु0अ0सं0 110/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सीसामऊ कानपुर नगर।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना सीसामऊ, जनपद कानपुर नगर में अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———